



## LOK SABHA DEBATES

**(Part I — Proceedings with Questions and Answers)**

*The House met at Eleven of the Clock*

**Friday, December 20, 2024 / Agrahayana 29, 1946 (Saka)**

**HON'BLE SPEAKER**

**Shri Om Birla**

**PANEL OF CHAIRPERSONS**

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

# LOK SABHA DEBATES

## PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, December 20, 2024 / Agrahayana 29, 1946 (Saka)

<u>CONTENTS</u>	<u>PAGES</u>
MOTION RE: REFERENCE OF CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY NINTH AMENDMENT) BILL AND UNION TERRITORY LAWS (AMENDMENT) BILL TO JOINT COMMITTEE	1 – 3
OBSERVATION RE: ADHERING TO RULES AND AVOIDING PROTESTS AT THE ENTRANCE GATES OF PARLIAMENT HOUSE	4
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 361 – 380)	5 – 50
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 4141 – 4370)	51 – 280



(1100/PC/UB)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 31, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

... (व्यवधान)

1100 hours

*(At this stage, Sushri Praniti Sushilkumar Shinde and some other hon. Members came and stood near the Table)*

संविधान (एक सौ उन्तीसवां संशोधन) विधेयक तथा संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने के बारे में प्रस्ताव

1100 बजे

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ –

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक तथा संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को सभा के निम्नलिखित 27 सदस्यों वाली दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए –

1. श्री पी.पी. चौधरी
2. डॉ. सी.एम. रमेश
3. सुश्री बाँसुरी स्वराज
4. श्री परषोत्तमभाई रुपाला
5. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
6. श्री विष्णु दयाल राम
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. डॉ. संबित पात्रा
9. श्री अनिल बलूनी
10. श्री विष्णु दत्त शर्मा
11. श्री बैजयंत पांडा
12. डॉ. संजय जायसवाल

13. श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा
14. श्री मनीश तिवारी
15. श्री सुखदेव भगत
16. श्री धर्मेन्द्र यादव
17. श्री छोटेलाल
18. श्री कल्याण बनर्जी
19. श्री टी. एम. सेल्वागणपति
20. श्री जी.एम. हरीश बालयोगी
21. श्री अनिल यशवंत देसाई
22. श्रीमती सुप्रिया सुले
23. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
24. श्रीमती शांभवी
25. श्री के. राधाकृष्णन
26. श्री चंदन चौहान
27. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी

और राज्य सभा के 12 सदस्य होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी,

कि समिति अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

कि अन्य मामलों में, संसदीय समिति से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम, ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।”

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक तथा संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को सभा के निम्नलिखित 27 सदस्यों वाली दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए –

1. श्री पी.पी. चौधरी
2. डॉ. सी.एम. रमेश
3. सुश्री बाँसुरी स्वराज
4. श्री परषोत्तमभाई रुपाला
5. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
6. श्री विष्णु दयाल राम
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. डॉ. संबित पात्रा
9. श्री अनिल बलूनी
10. श्री विष्णु दत्त शर्मा
11. श्री बैजयंत पांडा
12. डॉ. संजय जायसवाल
13. श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा
14. श्री मनीश तिवारी
15. श्री सुखदेव भगत
16. श्री धर्मेन्द्र यादव
17. श्री छोटेलाल
18. श्री कल्याण बनर्जी
19. श्री टी. एम. सेल्वागणपति
20. श्री जी.एम. हरीश बालयोगी
21. श्री अनिल यशवंत देसाई
22. श्रीमती सुप्रिया सुले
23. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
24. श्रीमती शांभवी
25. श्री के. राधाकृष्णन
26. श्री चंदन चौहान
27. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी

और राज्य सभा के 12 सदस्य होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी,

कि समिति अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

कि अन्य मामलों में, संसदीय समिति से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम, ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

-----

... (व्यवधान)

**नियमों के अनुपालन और संसद भवन के प्रवेश द्वारों पर प्रदर्शन न करने के बारे में टिप्पणी**  
1101 बजे

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूँ कि संसद की गरिमा, मर्यादा बनाने में सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना या प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा।

माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर किसी भी द्वार पर और परिसर में प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अब आप कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि वंदे मातरम् की धुन बजाई जाएगी।

(राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई)

**माननीय अध्यक्ष :** सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

1103 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।